

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

भवन प्रमण्डल, आरा।

ई-निविदा आमंत्रण सूचना सं०-03/2026-27

(Single Bid System)


1. विज्ञापनदाता का पदनाम :- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, आरा।
2. निविदा आमंत्रित करने की तिथि :- दिनांक-18.05.2026
3. निविदा कागजात प्राप्ति (डाउनलोड) की अवधि :- दिनांक-05.06.2026 से 30.06.2026 को 3:00 बजे अप० तक।
:- वेबसाईट (www.eproc2.bihar.gov.in) पर
4. निविदा कागजात जमा करने (अपलोड) की अंतिम तिथि एवं समय :- दिनांक-01.07.2026 को 3:00 बजे अप० तक।
5. निविदा खोलने की तिथि :- दिनांक-02.07.2026 को 3:30 बजे अप०
6. निविदा वैधता की अवधि :- 120 (एक सौ बीस) दिन।

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रु०)	अग्रघन की राशि (रु०)	परिमाण विपत्र का मूल्य	बीड प्रोसेसिंग शुल्क	कार्य अवधि
01	Construction of approach road in Mandal Kara, Ara	15.59,400/-	32,000/-	5,000/-	As per website	4 माह

7. भवन निर्माण विभाग में चतुर्थ श्रेणी में निबंधित संवेदक ही निविदा में भाग ले सकते हैं।
8. निविदा केवल ई-निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर निष्पादित किया जायेगा।
9. प्राक्कलित राशि कम या अधिक हो सकती है, परिमाण-विपत्र का मूल्य एवं अग्रघन की राशि उसी के अनुसार मान्य होगा।
10. परिमाण-विपत्र की दर से कम दर निविदा करने वाले निविदादाताओं को एकरारनामा के समय Additional Performance Guarantee जमा करना होगा।
11. निविदा कागजात का मूल्य (जो किसी भी स्थिति में लौटाया नहीं जाएगा) Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card अथवा Internet Banking) के माध्यम से जमा करना होगा।
12. ई-निविदा में भाग लेने के इच्छुक संवेदकों को ई-प्रोक्चोरमेंट के साथ निबंधन कराना होगा, इस निबंधन से उन्हें User ID, Password मिलेगा। संवेदकों को DSC (Digital Signature) भी प्राप्त करना होगा। User ID/Password/DSC एवं इंटरनेट के माध्यम से संवेदक ई-निविदा में भाग ले सकेंगे।
13. संवेदक/फर्म द्वारा बेल्ट्रान को भुगतान की जाने वाली राशि B.S.E.D.C का Bid Processing Charge + Service Tax के राशि का भुगतान संवेदक को Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card अथवा Internet Banking अथवा NEFT/RTGS Challan के माध्यम से B.S.E.D.C के Bid Processing Fee Account में Credit करना होगा।
14. निविदा केवल ई-निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाईट (www.eproc2.bihar.gov.in) पर निष्पादित किया जायेगा। ई० निविदा प्रक्रिया से संबंधित जानकारी ई-प्रोक्चोरमेंट हेल्पडेस्क, प्रथमतः, प्लॉट नं०-एम/22, रोड नं०-25, श्री कृष्णानगर, बैंक ऑफ इण्डिया कम्पाउंड, पटना-800001, दूरभाष सं० 0612-2523006 एवं मो० सं०-9939035696 से प्राप्त किया जा सकता है।
15. निविदादाताओं को सिर्फ वेबसाईट पर ही निविदा कागजात डाउनलोड एवं अपलोड करना होगा। निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के शुद्धि पत्र की जानकारी वेबसाईट से प्राप्त होगी।
16. कार्य की पूर्ण जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से किसी कार्य दिवस के कार्य अवधि में सम्पर्क की जा सकती है।
17. बिना कारण बताए निविदा को अस्वीकृत करने/रद्द करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी के पास सुरक्षित है।
18. अग्रघन की राशि केवल वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर उपलब्ध विकल्पों के अनुसार ऑनलाईन मोड में जमा किया जाएगा।
19. उच्च अधिकारियों द्वारा मद, मात्रा एवं राशि में जो भी परिवर्तन होगा वह निविदादाताओं को मान्य होगा।
20. Defect Liability का Period एक वर्ष होगा। अवधि की गणना योजना के नियमानुकूल हस्तांतरण के पश्चात ही की जा सकेंगी।
21. कार्य संपादन के पश्चात निधि उपलब्धता के अनुसार भुगतान किया जाएगा। किसी कारण से अगर भुगतान में विलम्ब होता है तो भुगतान हेतु मानक विपत्र की राशि ही अनुमान्य होगा तथा उसपर सूद की राशि देय नहीं होगी। नियमानुसार विपत्र से श्रोत पर जी०एस०टी०, आयकर, जमानत की राशि एवं अन्य कटौतियों के पश्चात् भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।
22. निविदादाता को कार्य के लिए सभी सामग्रियों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। अनुमोदित दर के अलावे किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
23. निविदाकार को अपना दर शब्दों तथा अंको में उद्धृत करना अनिवार्य होगा। किसी भी विरोधाभास की स्थिति में शब्द में उद्धृत दर को अंतिम माना जाएगा।

MS

24. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
25. निविदा वैधता की अवधि 120 दिन मान्य होगी। वैधता की अवधि में निविदा वापस नहीं ली जाएगी।
26. निविदाकार से अपेक्षा की जाती है कि निविदा जमा करने से पूर्व साईट की अच्छी तरह से जानकारी ले लेंगे।
27. निविदाकार को सभी निविदा कागजात तथा अग्रधन की राशि, निबंधन, पैन कार्ड, जी0एस0टी0 इत्यादि जो निविदा की योग्यता को पूर्ण करते हैं, को Scan कर अपलोड करना होगा।
28. यदि निविदा खोलने की तिथि को अवकाश हो तो अगले कार्य दिवस को निविदा खोलने की तिथि मानी जाएगी।
29. ऐसे निविदादाता जिनका आपराधिक रिकार्ड/Litigation History है, निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे। निविदादाताओं को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनका कोई अपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, Litigation History नहीं है, किसी भी कार्य को उनके द्वारा अधूरा नहीं छोड़ा गया है।
30. लेबर सेस की कटौती 1 प्रतिशत की दर से संवेदक से की जाएगी।
31. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा से संबंधित कागजातों में यदि कोई विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है तो उस निविदादाता पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी एवं निबंधन को निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी।
32. निविदाकार को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनके निविदा को अमान्य कर दिया जाएगा।
33. CA द्वारा Certified/Audited/Attested किये जाने वाले सभी documents यथा Audit Balance sheet/turnover certificate/अन्य आवश्यक दास्तावेज पर UDIN नम्बर अंकित कराने के उपरांत ही निविदादाता इसे निविदा के साथ संलग्न करेंगे अथवा e-proc पर upload करेंगे। UDIN नम्बर अंकित नहीं रहने पर documents को वैध नहीं माना जाएगा। तथा तकनीकी मुल्यांकन के समय ऐसे documents वाले निविदादाता को असफल घोषित कर दिया जाएगा।
34. कालीकृत या कार्य से डिबार किये गये संवेदक निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं। निविदा निष्पादन के पूर्व अगर किसी तरह का विधि सम्मत मामला प्रकाश में आता है तो संबंधित संवेदक का निविदा अमान्य कर दिया जायेगा।
35. e-proc 2.0 प्रणाली में निविदा Encryption की व्यवस्था लागू की जायेगी। इसके तहत निविदाकार को निविदा समर्पित कर अपने निविदा को अनिवार्य रूप से Encrypt करना होगा तथा निविदा खोले जाने की तिथि से पूर्व उसे Decrypt करना होगा। यदि निविदा खोले जाने की तिथि से पूर्व कोई निविदा Decrypt नहीं की जाती है तो उसे असमर्पित समझा जायेगा।
36. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No-9941/2022 बिहार संवेदक संघ बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-5768 (भ) दिनांक:-18.07.2023 द्वारा निर्गत पत्र निविदा में प्रभावी होगा।
37. संवेदक अपने सभी अभिलेखों को स्वहस्ताक्षरित तिथि सहित अंकित हो, करने के पश्चात् स्कैन कर कागजातों को अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे, ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ठ संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी अभिलेख PDF, MS Office (compatibility mode), JPEG, ZIP Format में ही Upload किया जाए, अन्य Format में Download/Open नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा। संवेदक को कार्यालय द्वारा कोई भी पत्राचार ई0-मेल के माध्यम से किया जायेगा।
38. निविदादाता निविदा डालने के पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे। बाद में किसी तरह का दावा मान्य नहीं होगा।
39. कार्यावंटन के पश्चात् बिहार सरकार द्वारा जारी संकल्प एवं परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का निर्माण कार्य में पालन करना अनिवार्य होगा।


 कार्यपालक अभियंता
 भवन प्रमण्डल, आरा